बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर।)

बुधवार, तिथि १९ जून, १९६८।

विषय-सूची।

	पृष्ठ।
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्न संख्या २२९, २३०, २३५, २३६, २३८ एवं २३९ ..	१—१०
तारांकित प्रश्न संख्या २१९ से २५४ तक	१०—४४
दैनिक निबन्ध	४५-४६

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे ऐसा (*) चिह्न लगा दिया गया है।

प्रखंड विकास समिति में सदस्यों की उपस्थिति।

२२४। श्री शिव शंकर सिंह—क्या मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा (मुंगेर) प्रखंड विकास समिति की बैठक दिनांक ४ मई, १९६८ को हुई थी;

(२) उक्त विकास समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं तथा उनमें सरकारी सदस्य कौन-कौन हैं और उक्त तिथि की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त समिति की बैठक में सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य उपस्थित नहीं थे;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन सरकारी सदस्यों के ऊपर कारंवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कौन-सी और नहीं, तो क्यों?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) शेखपुरा प्रखंड की प्रखंड विकास समिति के सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की एक सूची एवं उक्त तिथि को उपस्थित सदस्यों की सूची नीचे दी गई है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) सरकार के सभी विभागों एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सम्बद्ध जिला पदाधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि जिला एवं अनुमंडल स्तर के ऐसे सभी सरकारी पदाधिकारी भविष्य में सम्बद्ध प्रखंडों की प्रखंड विकास समितियों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया करें ताकि भविष्य में सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत न हो। जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रखंड विकास समितियों के सभी सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने के लिये अनुरोध किया जा चुका है। पुनः जिला पदाधिकारी, मुंगेर ने अपने पत्र संख्या २०९२, दिनांक २७ मई १९६८ द्वारा सभी सरकारी सदस्यों को प्रखंड विकास समितियों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने का अनुदेश दिया है।

जिला पदाधिकारियों को पुनः आदेश दिया जा रहा है कि वे सुनिश्चित करें और कुछ ठोस कारंवाई करें कि प्रखंड विकास समितियों में अधिकाधिक संख्या में सम्बद्ध पदाधिकारी सदस्य भाग लिया करें।

प्रखंड विकास समिति, शेखपुरा के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों की सूची एवं दिनांक ४ मई १९६८ की बैठक में उपस्थिति।

सरकारी सदस्य।

(१) समाहर्त्ता, मुंगेर—अध्यक्ष।

(समाहर्त्ता की अनुपस्थिति में अपर जिला दंडाधिकारी, जिला विकास पदाधिकारी अथवा विशेष पदाधिकारी, गहन कृषि जिला योजना, में से जो पदाधिकारी बैठक में उपस्थित होंगे वे बैठक की अध्यक्षता करेंगे।)

(२) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर।

(३) अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सदर मुंगेर—उपस्थित।
(४) जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर।
(५) जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
(६) जिला जन-संपर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
(७) जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर।
(८) जिला उद्योग पदाधिकारी, मुंगेर।
(९) अनुमंडल पदाधिकारी, जलपथ।
(१०) प्रशासक, जिला पर्षद्।
(११) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी।
(१२) वरीय कार्यपालक चिकित्सा पदाधिकारी।
(१३) अनुमंडल पदाधिकारी, जन-स्वास्थ्य विभाग।
(१४) जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी।
(१५) जिला अभियन्ता।
(१६) सहायक अभियंता, सामुदायिक विकास।
(१७) सहायक अभियंता, लघु सिंचाई—उपस्थित।
(१८) सहायक निबन्धक, सहयोग समितियां।

गैर-सरकारी सदस्य।

(१९) श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह, स०वि०स०—उपस्थित।
(२०) श्री लोकनाथ आजाद, स०वि०स०—उपस्थित।
(२१) श्री नयनतारा दास, सदस्य, लोक सभा।
(२२) अध्यक्ष, अधिसूचित क्षेत्र।
(२३) श्री बड़े लाल सिंह—उपस्थित।
(२४) श्री राधा कृष्ण प्रसाद सिंह, स०वि०प०।
(२५) श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह, स०वि०प०।
(२६) श्री राम चन्द्र पासवान, हरिजन सदस्य—उपस्थित।
(२७) मुखिया, ग्रामपंचायत, हथियामा—उपस्थित।
(२८) मुखिया, ग्रामपंचायत, गड़वा—उपस्थित।
(२९) मुखिया, ग्राम पंचायत, झाझा—उपस्थित।
(३०) मुखिया, ग्राम पंचायत, कुण्डा—उपस्थित।
(३१) मुखिया, ग्राम पंचायत, पथना—उपस्थित।
(३२) मुखिया, ग्राम पंचायत, भदौस—उपस्थित।
(३३) मुखिया, ग्रामपंचायत, गंगौर—उपस्थित।
(३४) मुखिया, ग्रामपंचायत अवगील—उपस्थित।

(३५) मुखिया, ग्रामपंचायत, डीहकुसुम्भा—उपस्थित।
(३६) मुखिया, ग्रामपंचायत, लोदीपुर—उपस्थित।
(३७) मुखिया, ग्राम पंचायत, कोसरा—उपस्थित।
(३८) मुखिया, ग्राम पंचायत, वाजिदपुर।
(३९) मुखिया, ग्राम पंचायत, कटारी।
(४०) मुखिया, ग्राम पंचायत, बादहाथपुर।
(४१) मुखिया, ग्रामपंचायत, कुसुम्भा।
(४२) मुखिया, ग्रामपंचायत, सिरारी।
(४३) मुखिया, ग्रामपंचायत, पैन।
(४४) मुखिया, ग्राम पंचायत, मेंहूस।
(४५) श्री ठाकुर महतो, भारत सेवक समाज।

वेतन का भुगतान।

२२५। श्री दिलकेश्वर राम—क्या मंत्री, ग्रामपंचायत विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री ईश्वर लाल द्वारा श्रीमती मोहिनी देवी, अध्यापिका, कें० अ० प्रा० स्कूल, दानापुर कैन्ट, पटना ने ग्राम भलुआचट्टी, ग्रामपंचायत बाराचट्टी ब्लौक, जिला गया में दिनांक १ फरवरी १९६२ से २८ फरवरी १९६३ तक ग्राम सेवक (पंचायत सेवक) के पद पर काम किया था जिसके वेतन का भुगतान अभीतक नहीं हुआ है ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री लाल ने इस संबंध में कई दरखास्तें प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी (गया) को दी जिनमें अन्तिम दरखास्त उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिनांक १९ दिसम्बर १९६७ को दी ;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री लाल ने दिनांक १९ दिसम्बर १९६७ वाली दरखास्त की प्रति जिलाधिकारी, गया समाहरणालय, गया एवं विकास पदाधिकारी, गया को भेजी, परन्तु अभीतक उन्हें इस संबंध में किसी तरह की सूचना नहीं दी गयी है ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अवधि का वेतन श्री लाल को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—(१) श्री ईश्वर लाल द्वारा श्रीमती मोहिनी देवी, अध्यापिका, कें० अ० प्रा० स्कूल, दानापुर कैन्ट, पटना ने ग्राम भलुआचट्टी, ग्राम पंचायत बाराचट्टी ब्लौक, जिला गया ने दिनांक १ फरवरी १९६२ से २८ फरवरी १९६२ तक पंचायत सेवक के पद पर काम किया था जिसका वेतन उन्हें ३ मार्च १९६२ को दिया जा चुका है।